सुप्रीम कोर्ट के एमपी से चिंता... जानिए क्यों होगी बड़ी खबर

विषय सूची (Table of Contents):

>> मुख्य अपडेट्स...
>> पीछे क्या हुआ?...
>> क्यों गूंजी आवाज़?...
>> कौन कौन हैं इस आह्वान के समर्थक?...
>> अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)...

भारत के शीर्ष न्यायालय ने पर्यावरण समूहों के विरुद्ध की गई अनुचित टिप्पणियों पर सरकार और नागरिकों का सवाल उठाया है। क्या ये टिप्पणियां पर्यावरणीय आपत्तियों को छूने वाली हैं?

600 नागरिकों ने सीजीआई से पर्यावरण विरोधियों की अनुचित टिप्पणियों को वापस लेने का मांग की है। इस मामले में पिपावाव पोर्ट की सुनवाई के दौरान सीजीआई ने कहा था कि पर्यावरणविद और कार्यकर्ता विकास को रोकते हैं।

मुख्य अपडेट्स

>> 600 नागरिक, पर्यावरणविद और कानूनी विशेषज्ञों ने सीजीआई को लिखा

>> पिपावाव पोर्ट विस्तार से जुड़े मामले में टिप्पणियां चिंता का विषय बनीं

>> सीजीआई ने कहा: पर्यावरणविद कितनी डिग्री हैं?

>> नागरिक समाज ने मान्यता मांगी है कि पर्यावरण संरक्षण अधिकार संवैधानिक है

>> राष्ट्रीय हरित अधिकरण के 80% मामले सुरक्षित रखे गए

>> अब तक 15 मामलों में सीजीआई की टिप्पणियां विवादित रही हैं

पीछे क्या हुआ?

गुजरात के पिपावाव पोर्ट के विस्तार के मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई ने मौखिक रूप से कहा:-

इस टिप्पण्यां ने तुरंत पर्यावरण समूहों और नागरिक समाज को बदबूहटा दिखाई।

क्यों गूंजी आवाज़?

>> पर्यावरण संरक्षण अधिकार संवैधानिक है (अनुच्छेद 51(क))

>> नागरिकों का अधिकार है कि वे विकास परियोजनाओं की जाँच करें

>> राष्ट्रीय हरित अधिकरण में 80% मामले सुरक्षित हैं

>> पर्यावरणीय मुकदमेबाजी को बार-बार ठप्प करना गलत है

>> न्यायालय की टिप्पणियां अधिकारिक फैसले नहीं होतीं

कौन कौन हैं इस आह्वान के समर्थक?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

यह टिप्पणियां नागरिक अधिकारों के संरक्षण और संवैधानिक पर्यावरण संरक्षण के बीच संघर्ष को उजागर करती हैं।

न्यायालय टिप्पणियों को वापस ले सकता है या इसे अपने फैसले में शामिल नहीं कर सकता। सरकार को पर्यावरण संरक्षण के नए संकल्प लेने चाहिए।